न्यायालय, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, नवगछिया।

सत्र वाद संख्या – 71/2021

06.03.2024 प्रस्तुत वाद के काराधीन आवेदक अभियुक्त शिव यादव उर्फ शिव कुमार यादव उर्फ फोटरा की ओर से दिनांक 05.03.2024 को दाखिल जमानत आवेदन को आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा आज प्रचालित किया गया। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान प्रभारी लोक अभियोजक को प्रदान की गई है। उभय पक्षों को सुना।

सूचक पिंटु यादव के लिखित आवेदन के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 09.05.2020 को सुबह करीब 07:00 बजे सूचक कोशी नदी रिंग बांध के उत्तर अपने खेत का मकई मजदूर से कटवा रहे थे। इसी बीच पूर्व विवाद को लेकर पप्पु यादव एवं शिव कुमार यादव उर्फ फोटरा यादव एवं पॉच अज्ञात अपराधी हरवे हथियार से लैस होकर आये और गाली–गलौज, मारपीट करने लगे तथा मजदूरों को भगा दिये। इसी दौरान पप्पु यादव एवं शिव कुमार यादव ने जान मारने की नीयत से सूचक के उपर फायरिंग करने लगा। सूचक किसी तरह जान बचाकर भाग गए। पुनः दिनांक 12.05.2020 को रात्रि करीब 08:00 बजे जान मरने की नीयत से फायरिंग किया तो सूचक किसी तरह जान बचाकर भागा। वो लोग (अभियुक्तगण) ने धमकी दिया कि दोबारा खेत पर जाओगे तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे।

जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष हैं तथा इन्होंने कोई अपराध नही किया है बल्कि इन्हें ग्रामीण राजनीति के तहत इस मुकदमा में गलत ढंग से फॅसाया गया है। आगे कथन करते हैं कि आवेदक अभियुक्त की ओर से पूर्व में जमानत आवेदन दाखिल किया गया था, जिसे इसी न्यायालय द्वारा दिनांक 13.08.2021 को खारिज कर दिया गया। उसके बाद आवेदक अभियुक्त की ओर से जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष गरीबी के कारण दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त को घटनास्थल से गिरफ्तार नही किया गया है और न हीं आवेदक के पास से कोई सामान बरामद हुआ है। आरोपित धारायें झूठा एवं मनगढ़ंत हैं क्योंकि इस वाद में कोई भी जख्मी नहीं हुआ है और न हीं कोई काट्रिज घटनास्थल से बरामद किया गया है। आवेदक अभियुक्त को इस वाद में पूर्व की दुश्मनी को लेकर सूचक द्वारा झूठा फंसाया गया है क्योंकि सूचक चाहता था कि आवेदक अभियुक्त उसके लिए अपराध करे। इस वाद में आरोप गठन भी किया गया है और दो साक्षियों का बयान भी लिया गया है लेकिन उन्होंने अभियोजन वाद का समर्थन नहीं किया है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 20.12.2020 से काराधीन हैं। आवेदक अभियुक्त साधन संपन्न व्यक्ति हैं और इनके फरार होने अथवा इनके द्वारा साक्षियों को प्रभावित किये जाने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक अभियुक्त न्यायालय की संतुष्टि के लिए समुचित राशि का बंध–पत्र दाखिल करने के लिए तैयार हैं। अतः आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना करते हैं।

अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं तथा इनके विरूद्ध सूचक के साथ गाली–गलौज, मारपीट करने तथा जान मारने की नीयत से सूचक के उपर दो दिन फायरिंग करने का आरोप प्राथमिकी में लगाया गया है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत वाद में धारा 147, 148, 341, 323, 307/149, 504, 506 भा0 द0 वि0 तथा 27(ii) शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत आरोप गठित किया जा चुका है जिसमें से धारा 307 भा0 द0 वि0 तथा 27(ii) शस्त्र अधिनियम का आरोप गंभीर एवं अजमानतीय है।

न्यायालय, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, नवगछिया।

सत्र वाद संख्या – 71/2021

लगातार

06.03.2024 कांड दैनिकी में आवेदक के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध कांड दैनिकी में आपराधिक इतिहास भी दर्शाया गया है। अतः आवेदक अभियुक्त की ओर से दाखिल जमानत आवेदन खारिज करने की प्रार्थना करते हैं।

उभय पक्षों को सुनने के उपरांत अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी के नामजद हैं तथा अभियुक्त के विरूद्ध अपने सह अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक के साथ गाली–गलौज, मारपीट करने तथा जान मारने की नीयत से सूचक के उपर दिनांक 09.05.2020 तथा 12.05.2020 को फायरिंग करने का आरोप प्राथमिकी में लगाया गया है। कांड दैनिकी के कंडिका – 3 मे सूचक का पुनः बयान है जिसमें सूचक ने घटना का पूर्ण समर्थन किया है। कांड दैनिकी के कंडिका – 6, 7, 8 में साक्षियों का बयान है जिसमें सभी साक्षियों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया है। कांड दैनिकी के कंडिका – 41 में अभियुक्त का आपराधिक इतिहास का वर्णन किया गया है जिसमें आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध नदी थाना कांड संख्या – 31/2020, अन्तर्गत धारा 25(1-b)a/26 शस्त्र अधिनियम दर्ज होने तथा उपरोक्त वाद में आवेदक अभियुक्त के दिनांक 21.07.2020 से काराधीन होने का तथ्य वर्णित है। आवेदक अभियुक्त का जमानत आवेदन पूर्व में खारिज किया गया है तथा आवेदक अभियुक्त की ओर से दाखिल नवीन जमानत आवेदन में कोई विशेष तथ्य सामने नहीं आया है।

उपरोक्त तथ्यों तथा अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः आवेदक अभियुक्त शिव यादव उर्फ शिव कुमार यादव उर्फ फोटरा की ओर दाखिल जमानत आवेदन को **खारिज** किया जाता है।

ह0/–

अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
नवगछिया, भागलपुर।